భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

కంది, సంగారెడ్డి – 502 284, తెలంగాణ, భారత్
ఫోన్: (040) 2301 6999
कंडी, संगारेड्डी – 502 284, तेलंगाना, भारत
फोन: (040) 2301 6999
Kandi, Sangareddy - 502284, Telangana, INDIA
Phone: (040) 2301 6999

File No. IITH/BoG-49-49.3.3/06/2025/07
Dated. 17.03.2025

कार्यालय ज्ञापन | OFFICE MEMORANDUM No.07/2025

विषय: नियमित संकाय और कर्मचारियों को संचार शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित अधिकतम सीमा - के संबंध में।

***

यह सूचित किया जाता है कि दि. 9 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी 25वीं बैठक में वित्त समिति की सिफारिशों और दि. 9 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी 49वीं बैठक में मद संख्या 49.3.3 के अनुसार BoG के अनुमोदन के आधार पर, नियमित संकाय और कर्मचारियों को संचार शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित अधिकतम सीमाएँ और दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

संशोधित अधिकतम दरें:

क्रम सं.	ग्रुप	वेतन स्तर	मौजूदा दर प्रति माह	प्रति माह प्रस्तावित संशोधित दर
1	ग्रुप - A	PL-17	2500	4200*
		PL 14, 14A and 15	2500	3500
		PL 13, 13A, 13A1	1000/2000/2500	3000
		PL 12	1000	2000
		PL 10 to 11	750	1500
2	ग्रुप - B	PL 6 to 9	--	1000
3	ग्रुप - C	PL 5 & नीचे	--	500
4	--	सचिवीय कर्मचारी (निदेशक कार्यालय/ डीन कार्यालय/ कुलसचिव कार्यालय)	--	प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता उनके वेतन स्तर के अनुसार दी जा सकती है

*अधिकतम राशि के 30% तक के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

दिशा-निर्देश:

1. लैंडलाइन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड/मोबाइल डेटा/डेटा कार्ड के लिए कोई अलग से अधिकतम सीमा नहीं होगी। प्रतिपूर्ति योग्य राशि लैंडलाइन और/या मोबाइल/ब्रॉडबैंड/मोबाइल डेटा/डेटा कार्ड कनेक्शन को आवरित करेगी और निर्धारित अधिकतम सीमा या वास्तविक के अनुसार जो भी कम हो, तक सीमित होगी। निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक कॉल शुल्क और उस पर कर का भुगतान कर्मचारियों द्वारा

किया जाएगा। IITH आवासीय टावरों पर उपलब्ध कराए गए FTTH कनेक्शनों के शुल्क को वहां रहने वालों की अधिकतम सीमा से समायोजित किया जाता रहेगा।

2. संबंधित कर्मचारी द्वारा बिल/रसीद जमा करने पर राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कर्मचारी आवासीय लैंडलाइन/मोबाइल फोन के लिए सेवा प्रदाता और टैरिफ पैकेज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

3. ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी एक ही आवासीय लैंडलाइन टेलीफोन साझा करते हैं और दोनों प्रतिपूर्ति के हकदार हैं, उनमें से केवल एक को आवासीय लैंडलाइन टेलीफोन के प्रति प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। मोबाइल फोन शुल्क हेतु दावा प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से माना जाएगा, जो कि हकदार अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

4. संचार शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल उसी कर्मचारी को दी जाएगी जिसके नाम पर मोबाइल कनेक्शन पंजीकृत है।

5. मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा प्रति कर्मचारी अधिकतम एक कनेक्शन तक सीमित रहेगा।

6. एक वर्ष से अधिक पुराने प्रतिपूर्ति दावों को किसी भी प्रतिपूर्ति आवेदन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

7. प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। https://package.accounts.iith.ac.in/F&A/public/login

यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों का स्थान लेगा।

Sub: Revised ceiling limits towards reimbursement of communication charges to regular Faculty & Staff – Reg.

***

This is to notify that based on the recommendations of the Finance Committee in its 25th Meeting held on 9th January 2025 and subsequent approval of BoG vide Item No 49.3.3 in its 49th Meeting held on 9th January 2025, the revised ceiling limits along with guidelines towards the reimbursement of communication charges to regular faculty & staff are as follows:

The revised ceiling rates:

Sl No.	Group	Pay Level	Existing Rate per month	Proposed revised rate per month
1	Group-A	PL-17	2500	4200*
		PL 14, 14A and 15	2500	3500
		PL 13, 13A, 13A1	1000/2000/2500	3000
		PL 12	1000	2000
		PL 10 to 11	750	1500
2	Group-B	PL 6 to 9	--	1000
3	Group-C	PL 5 & below	--	500

Sl No.	Group	Pay Level	Existing Rate per month	Proposed revised rate per month
4	--	Secretarial Staff (Director's Office/ Dean's Office/ Registrar's Office)	--	Eligibility towards reimbursement may be allowed as per their pay level

Excess expenditure up to 30% of the ceiling amount can be reimbursed.

Guidelines:

1. There will be no separate ceiling for the landline/mobile/broadband/mobile data/data card. The amount reimbursable will cover landline and / or mobile/broadband/mobile data/data card connection and shall be limited to the ceiling prescribed or as per actuals whichever is lower. Call charges over and above the ceiling prescribed along with taxes thereon shall be paid by the employees. The charges for FTTH connections provided at IITH Residential towers will continue to be adjusted from the ceiling limits of the occupants.

2. The amount shall be reimbursed on submission of bills / receipts by the employee concerned. Employees are at the liberty of choosing the service provider and the tariff package for the residential landline/mobile phones.

3. In cases where husband and wife share the same residential landline telephone and both are entitled for reimbursement, only one of them will be allowed reimbursement against the residential landline telephone. The claim for mobile phone charges shall be treated separately for each of the employees subject to the entitled ceiling.

4. Reimbursement for communication charges will be restricted to the employee in whose name the mobile connection is registered.

5. Reimbursement claims of mobile charges shall be restricted to a maximum of one connection per employee.

6. Reimbursement claims for older than one year should not be included in any reimbursement application.

7. The submission of reimbursement claims may also be done through online mode i.e., https://package.accounts.iith.ac.in/F&A/public/login.

This OM will be effective from the date of issue and supersedes all orders issued earlier in this regard.

वी. वेंकट राव

(वी वेंकट राव | V Venkat Rao)
कुलसचिव | Registrar

प्रतिलिपि | To:

1) संकाय & कर्मचारी | Faculty & Staff.
2) एचओएस एचआर & एचओएस (एफ एंड ए) | HoS (HR) & HoS (F&A).
3) निदेशक कार्यालय | Director's Office.
4) वेब एडमिन - संस्थान की वेबसाइट पर ओ.एम. को होस्ट करने के लिए | Web Admin - for hosting the OM on the Institute website.